13.23 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till twenty-five minutes past Fourteen of the Clock

---

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twenty-eight minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

BUSINESS OF THE HOUSE

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister of Parliamentary Affairs and Works and Housing, Mr. Bhishma Narain Singh, will make a statement.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 12th July, 1982 will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Consideration and passing of:—

(a) The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Cess (Amendment) Bill, 1982.

(b) The Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 1982.

(c) The Land Acquisition (Amendment) Bill, 1982.

(d) The Constitution (46th Amendment) Bill, 1981 on Tuesday, the 13th July, 1982.

(e) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1982.

(f) The Chaparmukh-Silghat Railway Line and the Katakhal-Lalabazar Railway Line (Nationalisation) Bill, 1981.

(g) The Road Transport Corporations (Amendment) Bill, 1981.

(h) The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 1982.

(i) The Metro-Railway (Construction of Works) Amendment Bill, 1981.

(j) The Food Corporations (Amendment) Bill, 1982.

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 9-7-82 की पुनरीक्षित कार्य सूची से मद संख्या 6 में निम्नलिखित विषयों को 12 जुलाई, 1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में विचारार्थ जोड़ने का अनुरोध करता हूं :

(1) मानसून के आने में विलम्ब के कारण देश के बड़े भाग में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिहार, यू० पी०, राजस्थान एवं अन्य कई राज्यों में तो अकाल के बादल मंडराने लगे हैं।

धान का बिचड़ा खेतों में वर्षा के अभाव में जल गया है तथा मकई के पौधे भी सूख गए हैं।

किसानों के पास जो अनाज एवं पूंजी थी उसे उन्होंने बिचड़ा एवं मकई बोने के समय लगा दिया है। अब दोनों फसलों के मारे जाने की संभावना ने किसानों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा कर दी है।

अकाल की स्थिति ने देश के करोड़ों खेत मजदूरों के सामने मौत का दृश्य खड़ा कर दिया है।

सुखाड़ के कारण उत्पन्न अकाल की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के लिये बड़े पैमाने पर चौतरफा राहत कार्य की योजना अविलम्ब बनाने तथा इसे कार्यान्वित करने का समय आ गया है।

अतः इस विषय को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में विचारार्थ रखा जाए।

(2) पूरे देश में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रति घोर उपेक्षा एवं उदासीनता बरती जा रही है।

विकास कार्य, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार एवं भूमि सुधार आदि कार्य ठप्प पड़े है। बिहार राज्य में तः यह कार्यक्रम केवल कागज पर है।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये जो कोष का आवंटन किया गया है उसके बड़े भाग का गलत इस्तेमाल हो रहा है तथा कुछ निहित स्वार्थ के लोग इस कोष को हड़प रहे हैं? भ्रष्टाचार के कारण भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों में इसके कार्यान्वयन के लिये जो समितियां गठित की गई हैं उसमें ऐसे लोगों को रखा गया है जिनको इस कार्यक्रम से कोई दिलचस्पी नहीं है तथा जो जमींदारों एवं निहित स्वार्थों तथा शासक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। विरोधी पार्टियों को कार्यान्वयन समिति से अलग रखा गया है तथा जनता का सहयोग लेने का कोई रुचि भी प्रदर्शित नहीं की जा रही है।

अतः 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के उपायों पर विचार करने तथा इसे सफल बनाने के विषय को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में विचारार्थ रखा जाय।

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central): Sir, I would like the following two items to be included for discussion during the next week.

One, dowry murders. Alarming increase in the dowry murders and suicides in the capital has rocked the country. The evil is spreading like a disease in other parts of the country where it is not existing. Failure of the State and Central Governments and police department to follow the instructions issued by the Home Ministry to investigate into the suspicious deaths of housewives and tracing missing women is a serious thing. What concrete measures is the Government taking to save these women from being burnt alive or before they embrace death?

Two, glut of sugar. The production of sugar has made a new record. However, there is no relief to the consumers as there is no decline in the prices of sugar in open market. If the farmers are not a assured remunerative price for the sugarcane, the land under the sugarcane cultivation will shrink resulting in the fall of sugarcane production and crisis in the sugar industry. What comprehensive measures are being taken to avert the crisis?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आज के मद संख्या (6) के अन्तर्गत में अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा चाहता हूं :

(1) सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद भी पिछड़ों, हरिजनों एवं अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़ रहे हैं। एक ओर जहां बिहार में हरिजनों को नक्सलाइट के नाम पर गोली से उड़ाया जा रहा है वहीं उत्तर प्रदेश में इन समुदायों के लोगों को झूठे मुठभेड़ के नाम पर उड़ाया जा रहा है। साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई है? ताजा बिहार में फुलवारी शरीफ और मुंगेर इसका उदाहरण हैं। आज भारतवर्ष में अल्पसंख्यक भय को जिन्दगी जी रहे हैं और त्रस्त है। सरकार द्वारा हरिजनों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कई आयोग गठित किये जाते रहे हैं और उन आयोगों द्वारा रिपोर्ट भी सरकार को पेश की जाती रही है लेकिन उस पर सदन में बहस नहीं हो पाती है। अतः अगले सप्ताह मण्डल आयोग की रिपोर्ट, अनुसूचित जाति जनजाति कमिश्नर की रिपोर्ट तथा अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट पर बहस कराई जाये।

[श्री राम विलास पासवान]

(2) दूसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लाचार होकर इस्तीफा देना पड़ा। मैं बिहार से आता हूं और छोटा नागपुर, खासकर रांची में आदिवासियों के शोषण से परिचित हूं। यदि आदिवासियों के पृथक राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी दुर्दशा में सुधार होगा।

इसलिये चुस्त एवं प्रभावकारी प्रशासन तथा जनसाधारण के विकास के दृष्टिकोण से मेरी मांग है कि बड़े राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अगले सप्ताह सदन में चर्चा हो।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): Sir, I would request you to kindly allow me to put the following subjects as the supplement to the Parliamentary Affairs Minister's statement regarding Government business for the week commencing the 12th July, 1982:—

(1) For the third successive year with poor rain-fall in the State of West Bengal, prices of foodgrains are shooting up and going beyond the poor people's reach. As the State Government has no bufferstocks of foodgrains to tide over the food shortage, the Centre should release large quantities of foodgrains to West Bengal to combat a widespread drought situation in the State this Year.

(2) There is heavy shortage of cement in West Bengal for which development works are being hampered. The Centre should provide more cement for West Bengal.

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा अगले सप्ताह संसद में आने वाली कार्यसूची में निम्न दो विषय सम्मिलित करवाने का निवेदन करता हूं।

(1) कोटा स्थित राजस्थान अणु बिजलीघर की दोनों इकाइयों के करीब एक वर्ष से बंद पड़े रहने व पिछले वर्ष वर्षा की कमी के कारण राणा प्रताप सागर, गांधी सागर व जवाहर सागर में पानी की कमी हो जाने से राजस्थान प्रदेश में बिजली उत्पादन का कार्य संपूर्ण रूप से बंद हो गया है। मध्यम उद्योगों व कृषि उद्योगों, आटे पीसने की चक्कियों इत्यादि पर भयंकर प्रभाव पड़ने से बेरोजगारी फैल रही है एवं इस कारण राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है।

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में राजस्थान अणु बिजलीघर के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुए विद्युत संकट पर चर्चा की जानी चाहिये।

(2) देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में करीब 80 न्यायाधीशों व अतिरिक्त न्यायाधीशों की जगह खाली हैं एवं उच्चतम न्यायालय में करीब दो न्यायाधीशों की नियुक्ति होना विचाराधीन है। इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय में भी स्थायी न्यायाधीशों व चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की जगह खाली पड़ी हैं जबकि दूसरी तरफ देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में कुल 7,79,192 मुकदमें बकाया (पैंडिंग) हैं एवं इसमें से एक वर्ष से अधिक अवधि वाले 5,19,935 मुकदमें बकाया हैं। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के 32,203 मुकदमें व इसी हाईकोर्ट में एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाया 19,888 केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े भी चौकाने वाले है। वहां 31 दिसम्बर, 1981 तक रेगुलर सुने जाने वाले बकाया केस की संख्या 22,664 है जिसमें से

एक वर्ष से अधिक अवधि से बकाया पड़े मुकदमों की संख्या 16,789 सम्मिलित है। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट में लगे एड-मिशन व (मिसलेनियस) मुकदमों की संख्या मिला दें तो दिसम्बर, 1981 तक 60,260 हो जायेगी। जब तक विभिन्न कोर्टों में जजों की संख्या बढ़ा कर एवं मुकदमों को निपटाने हेतु नयी प्रणाली बनाने की कार्यवाही नहीं होगी तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास शनैःशनैः समाप्त हो जायेगी।

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस विषय को भी अगले सप्ताह संसद में चर्चा हेतु रखे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित दो विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने हेतु प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

(1) **कन्ट्रोलर डिफेंस एकाउन्ट्स कार्यालय, पटना**

सी० ए० डी० पटना अंग्रेजी राज के समय से ही भारतीय सेना के जवानों की सेवा करता आ रहा है। इसके पटना कार्यालय में करीब डेढ़ हज़ार कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसका कार्य बराबर सुचारू रूप से चलता आ रहा है। परन्तु दुःख है कि यह कार्यालय इस विभाग के कुछ उच्चाधिकारों की आंख का किरकिरी बना हुआ है।

पटना स्थित इस कार्यालय को वहां से हटाकर गोहाटी ले जाने का षड़यंत्र बहुत पहले से किया जा रहा है। सन् 1967–68 में तो लगता था कि इसे समाप्त ही कर दिया जाएगा। परन्तु वहां के कर्मचारियों के एकताबद्ध आन्दोलन, सांसद के प्रयास तथा आम लोगों के विरोध के फलस्वरूप पटना कार्यालय का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सका और सरकार को इसे गोहाटी ले जाने में सफलता नहीं मिल सकी।

इधर पिछले कुछ महीनों से सरकार की ओर से पुनः प्रयास चल रहा है कि सी० डी० ए० कार्यालय पटना को गोहाटी ले जाया जाए। सरकार के जन-विरोधी इस निर्णय के विरुद्ध वहां के कर्मचारी चट्टानी एकता बनाकर पिछले दो महीनों से शांतिपूर्ण आन्दोलन चला रहे हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि पटना कार्यालय को किसी प्रकार से समाप्त नहीं किया जाए और सरकार इसे गोहाटी ले जाने के अपने निर्णय को रद्द कर दे। उनका यह भी कहना है कि पटना कार्यालय को डिस्टर्ब किए बिना अगर सरकार गोहाटी में भी इस प्रकार का कोई कार्यालय खोलना चाहे तो ज़रूर खोले, कर्माचारी उसका विरोध नहीं समर्थन करेंगे।

पटना स्थित कन्ट्रोलर डिफेंस एकाउन्ट्स कार्यालय के कर्मचारियों की उक्त मांगों को सर्वथा उचित बतलाते हुए पन्द्रह विविन्न दलों के संसद सदस्यों तथा 30 बिहार विधान सभा के सदस्यों ने वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री को संयुक्त पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि सरकार पटना कार्यालय को गोहाटी ले जाने के निर्णय को बराबर के लिए रद्द करदे ताकि कर्मचारियों एवं आम जनता का रोष और असंतोष समाप्त हो सके। बिहार के समाचार पत्रों ने भी सरकार से ऐसी ही मांग की है।

आशा है, वित्त मंत्री कर्मचारियों सांसदों, विधायकों, समाचार पत्रों और आम जनता की भावनाओं को देखते हुए सी० डी० ए० के पटना कार्यालय को गोहाटी ले जाने का निर्णय रद्द करने संबंधी एक वक्तव्य सदन के सम्मुख उपस्ति करेंगे।

[श्री रामावतार शास्त्री]

(2) बिहार में विश्वविद्यालयों एवं कालेज शिक्षकों की हड़ताल

बिहार में सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों के 16 हजार शिक्षक पिछले करीब तीन महीनों से अपने 31 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल 12 अप्रैल को शुरु हुई थी जिस कारण शिक्षण संस्थाओं का सारा कार्य ठप्प है और छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

करीब 16 सौ शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जेलों में बन्द किए गए, उन पर बर्बरता के साथ लाठियां बरसायी गई, उन्हें जेलों में यातनायें दी गई। फिर भी उनका आन्दोलन जारी है। परन्तु दुःख है कि उनकी संघर्ष समिति के सारे प्रयासों के बावजूद समझौता नहीं हो सका है।

शिक्षा कंकरेंट सूची में है। अतः भारत सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह शिक्षकों की मांगों पर विचार कर समझौते का रास्ता निकाले। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी शिक्षकों के वेतनमान तथा दूसरे प्रश्नों से संबंध है। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्री को इस संबंध में शीघ्र हस्तक्षेप कर विवाद को समाप्त करवाना चाहिए। प्रधान मंत्री को भी इधर ध्यान देना चाहिए।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Sir, before I read out what is written, I have one submission to make. Sometimes editing may become necessary, but before editing is done, I feel the Member should be consulted. Not that after editing, something is handed over to him. With that caveat, and subject to that, I am reading this and I suggest these two items for next week's business:

(1) National Jute Manufacturers Corporation controls and manages six nationalized jute mills. The Corporation (NJMC) has a very important role to play not only in protecting the interests of the workmen and employees, but also in the manufacture of jute and jute goods, so as to set an example to the jute industry as a whole, which is now in the monopoly control of jute barons. But the management of NJMC is not only indulging in various anti-labour practices, as in vogue in some big private sector mills, but are also following in the footsteps of the jute barons in laying off workers for four hours in the evening, and thus denying the workers full wages for the period, in line with the private sector mills, which is unbecoming for a public sector undertaking. The level of performance of the units has considerably gone down since nationalization, because of the lack of proper management.

All efforts of cooperation by the employees are ignored, and on the other hand, their rights are taken away. It is essential that the functioning of NJMC should be discussed in the House at an early opportunity.

(2) The Ordnance Depot at Calcutta is functioning since the eighteenth century. It has rendered great services since its commencement. The Government is threatening to close down the establishment, in spite of the opposition of the employees and the Government of West Bengal. The move if carried out, will not only affect the interests of Defence services but will also create unemployment. The Government should immediately announce its decision to continue the Depot at Calcutta and the matter should be discusesd in the House.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार). उपाध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यवाही में इन दो सवालों को जोड़ा जाए, मैं मंत्री जी से यह निवेदन करने खड़ा हुआ हूं।

पहला तो यह है कि साम्प्रदायिक दंगे जो राष्ट्र में हुए हैं, उन्होंने राष्ट्र को कमजोर करने में कोई कसर बाकी

नहीं रखी है। अब तो दंगे मां-बेटी, बहन-भाई और पति पत्नी के बीच में आ गये हैं जैसे कि पंजाब में। पंजाब और हरियाणा भी इस की लपेट में आ रहे हैं, जिस से देश की अखंडता और स्वतन्त्रता को खतरा पैदा हो गया है। इस की चर्चा सदन में अगले सप्ताह में होना जरूरी है, जिस से इस समस्या का समाधान निकल सके। मैं यह चाहूंगा कि इस को बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी समझ कर अगले सप्ताह लिया जाए।

दूसरा मंडल कमीशन के बारे में है, जिस के लिए मुझे धरना भी देना पड़ा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो सदन में रखी गई है, उस पर तुरन्त चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि राष्ट्र की 60 से 80 फीसदी जनता की आखें इधर लगी हुई हैं और अगर इस कमीशन की रिपोर्ट पर अच्छी तरह से बहस कर के इस को लागू किया जाए, तो बहुत सी समस्याएं राष्ट्र की हल हो जाएंगी।

ये दो बातें हैं, जिन को मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यवाही में लिया जाए।

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I am extremely grateful to the hon. Members for the valuable suggestions they have made. I will go through the proceedings and if I feel necessary I will bring them to the notice of the Business Advisory Committee.

श्री मनी राम बागड़ी: यह तो तुम्हारा वायदा था, भीष्म नारायण सिंह जी।

14.47 hrs.

EYES (AUTHORITY FOR USE FOR THERAPEUTIC PURPOSES) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we shall take up further consideration of the following motion moved by Shri B. Shankaranand on the 8th July, 1982, namely:—

"That the Bill to provide for the use of eyes of deceased persons for the therapeutic purposes and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Dr. Saradish Roy. You should be brief. I want that this Bill should be passed before we take up the Private Members' Business. Therefore, I would request the hon. members to be brief because it is the most non-controversial Bill.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार): प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट होना है, वह कब होगा?

MR. DEPUTY SPEAKER: That has already been circulated.

DR. SARADIASH ROY (Bolpur): The Eyes (Authority for Use for Therapeutic Purposes) Bill is not a controversial one. It extends only to the Union Territory of Delhi where there are less democratic rights of the people. Whatever democratic rights they had have been snatched away in the last two years. I would request the hon. Minister to restore the democratic rights at an early date. This Bill provides for replacement of the Bombay Corneal Grafting Act which is in force in the territory of Delhi since 1964 by this Act. In the statement of the Minister nothing has been said regarding the operation of this Act—Bombay Corneal Grafting Act—for the last 18 years, that is, in operation in Delhi.

Regarding the number of donors or the eyes received and grafted, how many people of the lower income group have been benefited by this corneal grafting has